न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 7/2020
उनवान मुकदमा

श्रीमती सुरता पत्नी श्री अर्जुन सिंह, जाति बामनिया भील, उम्र 52 वर्ष निवासी मलवासा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीया

बनाम

1. श्री गेबीलाल पिता स्व. श्री रूपा बंजारा, जाति बंजारा, उम्र वयस्क, निवासी मलवासा तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता स्व. श्री रूपा बंजारा, जाति बंजारा, उम्र वयस्क, निवासी मलवासा तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)
3. श्री लक्ष्मण पिता स्व. श्री रूपा बंजारा, जाति बंजारा, उम्र वयस्क, निवासी मलवासा तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)
4. श्री मोहनलाल पिता स्व. श्री रूपा बंजारा, जाति बंजारा, उम्र वयस्क, निवासी मलवासा तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीया अधिवक्ता : श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन
प्रतिवादीगण अधिवक्ता : एक्स पार्टी
प्रतिवादी संख्या 5– तहसीलदार बांसवाड़ा

निर्णय

दिनांक :–19–07–2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद में वादिया के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 114 (नई), 96 (पुरानी) के कुल खेत 03, कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, कुल लगानी 18.83 रूपया वाके गॉव मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के क्रमशः सर्वे नम्बर 562/2, 574/2, 678, क्रमशः रकबा 2.17, 4.10, 5.11 क्रमशः लगान 4.16, 6.57, 8.10 कुल खेत 03 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल लगान 18.83 है। उक्त कृषि भूमि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 785/677 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1349/597 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा वाके गांव मलवासा से लगी हुई है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के चारों तरफ वादीया की कृषि भूमि स्थित है। वादिया उक्त कुल भूमि में एकचक बनाकर वर्षो से अर्थात 25–30 वर्षो से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादिया के खातेदारी की कृषि भूमि एवं उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार में वादिया अदा करती है। वादिया के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 114 (नई), 96 (पुरानी) के कुल खेत 03, कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, कुल लगानी 18.83 रूपया वाके गॉव मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित भूमि पर अर्सा करीब 25–30 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रही हैं एवं राज्य सरकार में लगान अदा करती है। वादिया उक्त कृषि भूमि पर खुल तौर पर प्रतिवादीगण एवं आम जनता की जानकारी में बिना किसी बाधा या रूकावट के अर्थात अबाध रूप से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। वादिया का वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर मुखालफाना कब्जा है। प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल में कभी भी कृषि एवं खेती कार्य नहीं किया है। प्रतिवर्ष वादिया वर्षो से दोनों फसलें [illegible] है। वादिया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि नहीं करते हैं एवं राज्य सरकार में लगान अदा नहीं करते है इस कारण प्रतिवादी [illegible] से 4 के खातेदार अधिकार हस्ब धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार निवर्तित हो गये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। वादिया वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested

बिना किसी बाधा या रूकावट के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादिया उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी कृषक हो गई है। वादिया को वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदार कृषक की धोषणा हेतु यह वाद हस्ब धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है।

वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को पिछले एक वर्ष से वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के खातेदारी में दर्ज कराने का निवेदन करती चली आ रही है। पिछले राजस्व अभियानों के दौरान वादिया ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के नाम दर्ज कराने का निवेदन करती चली आ रही है लेकिन लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आजकल का बहाना बनाकर टालते रहते है। प्रतिवादीगण को यह भली–भांति ज्ञात हैं कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि में कभी काश्त नहीं की हैं एवं राज्य सरकार में लगान अदा नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को यह भी ज्ञात है कि वादिया वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा या रूकावट के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अवधि गुजर चुकी हैं तथा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा वादिया से कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते है। तहाम पर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के नाम दर्ज कराने में आजकल का बहाना टाल रहे है। अतः घोषणा का वाद पेश किया है।

वादिया को वाद हेतु वादिया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चले आने के कारण पिछले एक वर्ष से एवं राजस्व अभियानों में प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का वादिया को खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण तैयार नही होने से उत्पन्न हुआ है। दावा अन्दर मियाद है।

वादिया के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 114 (नई), 96 (पुरानी) के कुल खेत 03, कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, कुल लगानी 18.83 रूपया वाके गॉव मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित के क्रमशः सर्वे नम्बर 562/2, 574/2, 678, क्रमशः रकबा 2.17, 4.10, 5.11 क्रमशः लगान 4.16, 6.57, 8.10 कुल खेत 03 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल लगान 18.83 रूपया का वादिया को खातेदार कृषक होने की घोषणा करने की डिक्री फरमाने एवं तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में वादिया का नाम प्रतिवादीगण के स्थान पर दर्ज करने आदेश फरमाने निवेदन किया है।

फर्द दस्तावेज में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 450 नई 372 पुरानी संवत 2070–2073, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 114 नई 96 पुरानी सवंत 207–2073, नक्शा ट्रेस, विक्रय पत्र कृषि भूमि अमरेंग व अन्य प्रस्तुत किये है।

दिनांक 23.12.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के जारी सम्मन तामिल उपरान्त उपस्थित नही हुवे न ही इनकी ओर से पैरवी करने वकालातनामा पेश किया गया। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। चुंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने से पत्रावली तनकीयात कायन नही कर साक्ष्यवादी हेतु आदेशित की गई।

दिनांक 05.04.2021 को साक्ष्यवादी में पी डब्ल्यू 1 श्रीमती सुरता, पी डब्ल्यू 2 श्री भारता पटेल, पी डब्ल्यू 3 श्री कालु पटेल, पी डब्ल्यू 4 श्री खातु भापोर, पी डब्ल्यू 5 श्री कानजी भापोर के शपथ पत्र पेश किये गये। सभा गवाहान के बयान लिये गये। वादी की ओर से दस्तावेज विक्रय पत्र पेश किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया जाकर शामिल मिसल किया।

श्रीमती सुरता पत्नी श्री अर्जन सिंह, जाति बामनिया भील, उम्र 52 वर्ष निवासी मलवासा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत अपने लिखित बयान पेश किया। जिसमें बताया कि मेरे कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाके गॉव मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के क्रमशः सर्वे नम्बर 562/2, 574/2, 678, क्रमशः रकबा 2.17, 4.10, 5.11 क्रमशः लगान 4.16, 6.57, 8.10 कुल खेत 03 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल लगान 18.83 है। उक्त कृषि भूमि मेरे खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 785/677 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1349/597 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम मलवासा से लगी हुई है। सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 कुल खेत 03 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी श्री गेबीलाल, श्री मांगीलाल, श्री लक्ष्मण, श्री मनोहरलाल के नाम गलत दर्ज हो गई है। उक्त सर्वे नम्बर की भूमि के चारों तरफ मेरे कब्जे की कृषि भूमि स्थित है। मैनें उक्त कुल भूमि को एकचक बनाकर वर्षो से अर्थात 25–30 वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूँ। मेरे खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 की भूमि का लगान राज्य सरकार में अदा करती चली आ रही हूँ। मैं सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 की भूमि पर अर्सा करीब 25–30 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रही हूँ एवं राज्य सरकार में लगान अदा करती चली आ रही हूँ। मैं उक्त कृषि भूमि पर खुले तौर पर प्रतिवादीगण एवं आम जनता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी में बिना किसी बाधा या रूकावट के अर्थात अबाध रूप से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही हुँ। मेरा सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 की कृषि भूमि पर मुखालफाना कब्जा है। प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल में कभी भी कृषि एवं खेती कार्य नहीं किया है। प्रतिवर्ष मैं वर्षो से दोनों फसलें प्राप्त करती हूँ। मेरा वादग्रस्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि नहीं करते है एवं राज्य सरकार में लगान अदा नहीं करते है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार हस्ब धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार निर्वापित हो गये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। मैं वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा या रूकावट के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूँ। मैं उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी कृषक हो गई हूँ। मैनें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को पिछले एक वर्ष से वादग्रस्त कृषि भूमि मेरे खातेदारी में दर्ज कराने का निवेदन करती चली आ रही हूँ। पिछले राजस्व अभियानों के दौरान मैने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि मेरे नाम दर्ज कराने का निवेदन करती चली आ रही हूँ लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 4 आजकल का बहाना बनाकर टालते रहते है। प्रतिवादीगण को यह भली–भांति ज्ञात है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि में कभी काश्त नहीं की हैं एवं राज्य सरकार को लगान अदा नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को यह भी ज्ञात है कि मैं वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा या रूकावट के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हूँ एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अवधि गुजर चुकी हैं तथा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा मुझसे कानेनन प्राप्त नहीं कर सकते है। मैं सर्वे नंबर 562/2, 574/2 एवं 678 की भूमि की खातेदारी कृषक हूँ तथा मुझै उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

पी. डब्ल्यू. 2 श्री भारता पटेल पिता श्री अमरेंग पटेल, जाति पाटीदार उम्र 60 वर्ष निवासी पटेल मोहल्ला सागडोद तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) का शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश हुआ जिसमें बताया कि मैं वादिया श्रीमती सुरता बामनिया एवं प्रतिवादी श्री गेबीलाल, श्री मांगीलाल, श्री लक्ष्मण एवं श्री मोहन बंजारा निवासी मलवासा को जानता हूँ। श्रीमती सुरता के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 114 नई 96 पुरानी के सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 व 678 कुल खेत 03 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल लगानी 18.83 रूपया वाके गॉव मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि श्रीमती सुरता बामनिया खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 785/677 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 1349/597 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा वाके गांव मलवासा से लगी हुई है। सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 कुल खेत 03 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी श्री गेबीलाल, श्री मांगीलाल, श्री लक्ष्मण, श्री मनोहरलाल के नाम गलत दर्ज हो गई है। उक्त सर्वे नम्बर की भूमि के चारों तरफ श्रीमती सुरता बामनिया के कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है। श्रीमती सुरता बामनिया ने उक्त कुल भूमि को एकचक बनाकर वर्षो से अर्थात करीब 25–30 वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। श्रीमती सुरता बामनिया के खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नंबर 562/2, 574/2 एवं 678 की भूमि का लगान राज्य सरकार में अदा करती चली आ रही है। श्रीमती सुरता बामनिया उक्त कृषि भूमि पर खुले तौर पर प्रतिवादीगण एवं आम जनता की जानकारी में बिना किसी बाधा या रूकावट के अर्थात अबाध रू्प से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। श्रीमती सुरता बामनिया का सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 व 678 की कृषि भूमि पर मुखालफाना कब्जा है। प्रतिवादीगण ने उक्त कृषि भूमि पर अपने जीवनकाल में कभी भी कृषि एवं खेती कार्य नहीं किया है। प्रतिवर्ष इस भूमि में श्रीमती सुरता बामनिया वर्षो से दोनों फसले प्राप्त करती है। श्रीमती सुरता बामनिया का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि नहीं करते है एवं राज्य सरकार में लगान अदा नहीं करते हैं जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार हस्ब धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार निर्वापित हो गये है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। श्रीमती सुरता बामनिया वादग्रस्त कृषि भूमि पर 12 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा व रूकावट के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। श्रीमती सुरता बामनिया उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी कृषक हो गई है। मेरे खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि श्रीमती सुरता बामनिया की कृषि भूमि से लगी हुई है। मेरा एवं श्रीमती सुरता बामनिया की कृषि का सेडा आपस में लगा हुआ है। इसलिए मै उक्त तथ्यों की जानकारी रखता हूँ। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अवधि गुजर चुकी हैं तथा अपने जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा श्रीमती सुरता बामनिया से कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते है। श्रीमती सुरता बामनिया सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 एवं 678 की भूमि की खातेदारी कृषक है तथा श्रीमती सुरता बामनिया को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायसंगत है। पी. डब्ल्यू. 3 श्री कालु पटेल पिता श्री केरेंग पटेल, जाति पाटीदार, उम्र 64 वर्ष निवासी स्कूल के सामने सागडोद तहसील बांसवाड़ा व जिला बांसवाड़ा (राज.), पी डब्ल्यू –4 श्री खातु भाबोर पिता श्री कोदर भाबोर, जाति भील उम्र 67 वर्ष निवासी कालीपान मलवासा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) एवं पी डब्ल्यू–5 श्री कानजी भाबोर पिता श्री मोगजी भाबोर जाति भील उम्र 82 वर्ष निवासी कालीपान मलवासा तहसील बांसवाड़ा तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) ने भी अपने शपथ पत्र (मुख्य परीक्षण) अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. में पी. डब्ल्यू–1 के लिखित बयानों को दोहराया। पी डब्ल्यू –1 सुरता पत्नी श्री अर्जुन सिंह बामनिया कौम बामनिया उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम मलवासा तहसील व जिला बांसवाड़ा ने बयान किय कि मैने अपना मुख्य परीक्षण शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश किया है। शपथ पत्र में वर्णित तथ्य सही व सत्य है। मैने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी ग्राम मलवासा संवत 2070–2073 प्रदर्श–1, जमाबन्दी गांव मलवासा संवत 270–73 प्रदर्श–2, वादग्रस्त सर्वे नम्बरों का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –3, मेरे द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1999 प्रदर्श–4 है। विक्रय पत्र पर विक्रेता अमरेंग जगजी परतेंग श्रीमती वक्त के अगुठा निशानी है एवं कालु के हस्ताक्षर है। इस सर्वे नम्बर की भूमि पर प्रदर्श–4 के विक्रेता पत्र में काबिज होकर काश्त करते थे विक्रेताओं ने विक्रय पत्र में वर्णित सर्वे नम्बरों की भूमि के साथ सर्वे नम्बर 562/2, 574/2, 678 कुल खेत 3 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का कब्जा सुपुर्द किया था। वादग्रस्त सर्वे नम्बरों पर मेरा एवं प्रदर्श 4 के विक्रताओं का अरसा करीब 50–60 वर्षो से कब्जा है। मैं इन खेतों की खातेदार हूँ। पी डब्ल्यू –2 भारता पटेल अमरेंग पटेल कौम पाटीदार उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी सागडौद तहसील व जिला बांसवाड़ा अपने बयान में बताया कि मैने अपना मुख्या परीक्षण शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश किया है ।शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी से सही व सत्य है। मेरे सर्वे नम्बर के पडौस में वादीया की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 785/677 एवं 1349/597 के मध्य में सर्वे नम्बर 562/2, 574/2, 678 की भूमि है। इस भूमि पर करीब 50–60 वर्षो से श्री अमरेंग, जगजी, परतेंग व वक्त, कालु कमाते थे। इन्होने यह खेत वादीया श्रीमती सुरता को विक्रय किये है। इस प्रकार वादीया का वादग्रस्त खेतों पर करीब 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त खेतों की खातेदार वादीया श्रीमती सुरता है। पी डब्ल्यू – 3 कालु पटेल पिता केरेंग कौम पटेल उम्र 64 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम सागडौद तहसील व जिला बांसवाड़ा का हूँ। इन्होने अपने बयान में बताया कि मैने शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश किया। जो सही व सत्य है। मैने एवं अमरेंग जगजी परतेंग श्रीमती वक्त ने मिलकर हमारे संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि को जरिये विक्रय पत्र प्रदश–4 के द्वारा श्रीमती सुरता देवी वादीया को विक्रय किये है। विक्रय पत्र पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर श्री अमरेग जगजी परतेग श्रीमती वक्त के अगुठा निशानी है। विक्रय पत्र के गवाह श्री हुरजी एवं परशुराम थे। हुरजी के हस्ताक्षर सी से डी एवं परशुराम के हस्ताक्षर ई से एफ है। हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि सर्वे नम्बर 785/677, 1349/597 के मध्य में सर्वे नम्बर 562/2, 574/2 व 678 की कृषि भूमि स्थित थी। इस भूमि पर मैं एवं अन्य सहखातेदार हमारे खाते की भूमि के साथ खेती करते थे। हमारे द्वारा श्रीमती सुरता को विक्रय की गई कृषि भूमि के साथ वादग्रस्त सर्वे नम्बरों की कृषि भूमि का कब्जा श्रीमती सुरता देवी (वादीया) को सुपुर्द कर दिया था। इस प्रकार हमारा व सुरता देवी का वादग्रस्त सर्वेनम्बर की भूमि पर करीब 50–60 वर्षो से कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण श्री गेबीलाल वगैरा ने इस भूमि पर कभी खेती नही की है। श्रीमती सुरता देवी वादीया वादग्रस्त खेतों की खातेदार है एवं लगान अदा करती है। पी डब्ल्यू 4 खातु पिता कोदर कौम आदिवासी उम्र 67 वर्ष पेशा खेती निवासी कालीपान मलवासा तहसील व जिला बांसवाड़ा ने अपने बयान में बताया कि मैने अपना मुख्य परीक्षण शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश किया। शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान व जानकारी से सही ब सत्य है। मैं वादीया श्रीमती सुरता देवी को जानता हूँ। सुरता देवी की कृषि भूमि गांव मलवासा में है। इनके खाते की भूमि के मध्य में वादग्रस्त कृषि भूमि करीब 12 बीघा स्थित है। जिस पर 50–60 वर्षो से डूगर एवं केरेंग पटेल एवं उसके बाद उसके उत्तराधिकारी अमरेंग जगजी [illegible] कालु श्रीमती [illegible] खेती करते थे इन लोगों ने वादिया को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने के साथ ही वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया है। सभी खेतों का लगान वादिया श्रीमती सुरता देवी अदा करती है। प्रतिवादी [illegible] गेबीलाल व अन्य का वादग्रस्त खेतों में कोई हक नही है। मेरे खेत वादिया के खेतों के [illegible] साथ–साथ खेती करते है इसलिए मैं सारी बात जानता हूँ वादिया वादग्रस्त खेतों की खातेदार है। पी डब्ल्यू 5 कानजी भाबोर कौम भील उम्र 82 वर्ष पेशा खेती निवासी कालीपान मलवासा तहसील व जिला बांसवाड़ा है। मैने अपना मुख्य परीक्षण शपथ पत्र दिनांक 05.04.2021 को पेश किया। शपथ पत्र में वर्णित तथ्य मेरे निजी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी से सही व सत्य है। मेरे खाते की कृषि भूमि वादीया की कृषि भूमि एवं वादग्रस्त कृषि भूमि से लगी हुई है। मैं जब से समझदार हुआ वादग्रस्त खेत रकबा करीब 12 बीघा पर डूगर पटेल एवं केरेंग पटेल को खेती करते हुए देखा है। उसके बाद इन खेतों पर इनके उत्तराधिकारी अमरेंग जगजी परतेंग कालु व श्रीमती वक्त खेती करते थे। इन सभी ने अपने संयुक्त खाते की भूमि एवं वादग्रस्त कृषि भूमि को श्रीमती सुरता वादिया को विक्रय की है एवं कब्जा सुपुर्द किया है। वादग्रस्त भूमि करीब 12 बीघा के चारों तरफ वादीया के खाते की कृषि भूमि है। इन सभी खेतों पर मैं जब से समझदार हुआ तब से पूर्व खातेदार एवं वादीया को खेती करते हुवे देखा है। गेबीलाल बंजारा आदि को कभी भी खेती करते नही देखा इनका कोई हक नही है। वादिया सुरता देवी वादग्रस्त खेतों की खातेदार है। पटवारी को लगान हमारे साथ जमा कराती है।

वादिया ने अपनी साक्ष्य बन्द की प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत किया जाना उचित नही होने से अन्तिम बहस हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 06.04.2021 को बहस सुनी गई। तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा का जवाब प्रस्तुत नही होने पर जवाब चाहा गया।

तहसीलदार बांसवाड़ा ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2021/828 दिनांक 02.07.2021 को प्रकरण में मौका व राजस्व रेकार्ड जांच पेश की गई। जिसमें बताया कि ग्राम मलवासा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 114 के अनुसार खसर नम्बर मय रकबा क्रमशः 562/2 रकबा 2–17 बीघा, 574/2 रकबा 4–10 बीघा व 678 रकबा 5–11 बीघा कुल किता रकबा 12–18 बीघा प्रतिवादी गण क्रम संख्या 1 से 4 श्री गेबीलाल, मांगीलाल का हिस्सा रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालिया एवं हिस्सा लक्ष्मण रहन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा बांसवाड़ा एवं हिस्सा मोहनलाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुरवानिया के नाम दर्ज रेकार्ड है जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। मुताबिक मौका अनुसार वाद में वर्णित खसरा नम्बर 678 रकबा 5–11 बीघा पर 15–16 वर्षो से लगातार वादिया श्रीमती पत्नि श्री अर्जुन सिंह बामनिया जाति भील निवासी मलवासा का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 678 पर प्रतिवादीगण क्र.स. 1 से 4 गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा निवासी मलवासा का मौके पर इससे पूर्व कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वाद में वर्णित खसरा नम्बर मय रकबा क्रमशः 562/2 रकबा 2–17 बीघा, 574/2 रकबा 4–10 बीघा कुल 2 किता रकबा 7–07 बीघा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा का मौके पर कब्जा है। मौका पर्चा संलग्न पेश किया है। वाद में वर्णित खसरा नम्बर 678 रकबा 5–11 बीघा का वादीया श्रीमती सुरता पत्नी श्री अर्जुन बामनिया जाति भील को खातेदार घोषित करने पर मोतबिरान को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर पुनः मजीद बहस हेतु नियत की गई। वादिया के अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 की उपस्थिति में बहस सुनी गई। वादिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादिया का उक्त विवादीत भूमि पर पिछेल 12 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विवादीत भूमि पर कभी काश्त नही की है। प्रतिवादीसंख्या 5 तहसीलदार बांसवाड़ा ने भी अपनी बहस में बताया कि मुताबिक मौका अनुसार वाद में वर्णित खसरा नम्बर 678 रकबा 5–11 बीघा पर 15–16 वर्षो से लगातार वादिया श्रीमती सुरता पत्नि श्री अर्जुन सिंह बामनिया जाति भील निवासी मलवासा का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 678 पर प्रतिवादीगण क्र.स. 1 से 4 गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा निवासी मलवासा का मौके पर इससे पूर्व कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वाद में वर्णित खसरा नम्बर मय रकबा क्रमशः 562/2 रकबा 2–17 बीघा, 574/2 रकबा 4–10 बीघा कुल 2 किता रकबा 7–07 बीघा पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा का मौके पर कब्जा है। वाद में वर्णित खसरा नम्बर 678 रकबा 5–11 बीघा का वादीया श्रीमती सुरता पत्नी श्री अर्जुन बामनिया जाति भील को खातेदार घोषित करने पर मोतबिरान को कोई आपत्ति नहीं है।

उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर एवं तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका एवं राजस्व रेकार्ड की जांच रिपोर्ट एवं बहस पर गहनता से अध्ययन एवं मनन किया तो पाया कि वाके मौजा मलवासा, पटवार हल्का पाडीकला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) के खसरा नम्बर 678 रकबा 5–11 बीघा पर 15–16 वर्षो से लगातार वादिया श्रीमती सुरता पत्नि श्री अर्जुन सिंह बामनिया जाति भील निवासी मलवासा का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 678 पर प्रतिवादीगण क्र.स. 1 से 4 गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा निवासी मलवासा का मौके पर इससे पूर्व कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अतः प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि नहीं करते है एवं राज्य सरकार में लगान अदा नहीं करते है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदारी अधिकार हस्ब धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार निर्वापित हो गये है। राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम 1955 की धारा 88 में 12 वर्ष से अधिक कब्जा काश्त वादिया का होने से वादिया श्रीमती सुरता पत्नि श्री अर्जुन सिंह बामनिया जाति भील निवासी मलवासा को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाना उचित होगा। अतः जमाबन्दी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 114 नई 96 पुरानी के खसरा संख्या 678 रकबा 5–11 बीघा पर खातेदार गेबीलाल, मांगीलाल, लक्ष्मण, मोहनलाल पिता रूपा बंजारा साकिन देह खातेदार के स्थान पर वादिया श्रीमती सुरता पत्नि श्री अर्जुन सिंह बामनिया जाति भील निवासी मलवासा को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्अनुसार तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा राजस्व रकार्ड में अमल दरामद करे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2021 को सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:52:05 IST
Reason: SelfAttested